

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय :- महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय(अंग्रेजी माध्यम) में साक्षात्कार उपरान्त रिक्त रहे पदों को भरने एवं कार्यरत कार्मिकों के वेतन आहरण की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं:-

- 1 राज्य के 167 ब्लॉक में स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) तथा अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार उपरान्त पदस्थापित के पश्चात भी कतिपय स्थानों पर विषय अध्यापकों के पद रिक्त रहे हैं। इस पलैगशीप योजना के सफल संचालन के लिये इन पदों को पुनः साक्षात्कार से भरा जाना है।
 - 2 इस सम्बन्ध में ब्लॉक व जिला स्तर पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों व अन्य अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में वर्तमान में रिक्त रहे केवल वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक (लेवल-1 व लेवल-2) पदों के लिये निम्न कार्यक्रमानुसार साक्षात्कार आयोजित किये जावें:-
- खाली पदों की सूचना चर्चा करना — 17.08.2020
 - विद्यालयवार / पदवार साक्षात्कार — 18.08.2020 से 19.08.2020 तक
 - सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी से अनुमोदन — 20.08.2020
 - पदस्थापन आदेश जारी करना — 21.08.2020

उक्त साक्षात्कार जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में होंगे, जिसमें सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रारंभिक एवं सम्बन्धित विद्यालय प्रधानाचार्य को सम्मिलित किया जावे।

- 3 वरिष्ठ अध्यापक के साक्षात्कार उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक चयनित शिक्षकों का पदस्थापन करने से पूर्व इन पदों के नियुक्त अधिकारी सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक से तत्काल अनुमोदन प्राप्त कर पदस्थापन आदेश जारी करेंगे।
- 4 अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 हेतु साक्षात्कार उपरान्त चयनित शिक्षकों के पदस्थापन आदेश नियुक्त अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक जारी करेंगे।
- 5 उपर्युक्त साक्षात्कार में चयन हेतु निम्नांकित शर्तें रहेंगी:-
 1. वरिष्ठ अध्यापक का पदस्थापन सम्बन्धित मण्डल क्षेत्राधिकार में होना चाहिए।
 2. अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 के आशार्थी का पदस्थापन सम्बन्धित जिला क्षेत्राधिकार में ही होना चाहिए।
 3. टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित आशार्थी का चयन नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु नहीं किया जाए।
 4. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा (RVRES) के तहत नियुक्त हुए कार्मिकों का चयन शहरी (नगर पालिका / नगर निगम /) हेतु नहीं किया जाए।
- 6 महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय दूदू (जयपुर) तथा 2 अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रायपुर (पाली) व सीकर (फतेहपुर) में समस्त स्टॉफ का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है।
- 7 महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में जिन पदों हेतु पद प्रावधान नहीं है तथा उक्त पद पर चयन किया जाकर पदस्थापन किया जा चुका है/किया जाना है, उनके वेतन की व्यवस्था जिले में रिक्त समकक्ष पद से आहरण किया जावे। यदि कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित था तो उसका वेतन पूर्व की भांति जिले के समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा के पद से आहरित किया जावे। उक्त सम्बन्ध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक समन्वय करते हुए इन कार्मिकों के यथासमय वेतन की व्यवस्था करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रधानाचार्य— महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय(अंग्रेजी माध्यम) को ई-मेल प्रेषण हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. समस्त प्रधानाचार्य— महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय(अंग्रेजी माध्यम)।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।